

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

विविध आदेश

क्रमांक 58 /

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 08/04/2024

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 15 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा एवं प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की नवीन पदस्थापना होने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 408 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कॉलम नं. 2 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नं. 3 में दर्शित सूची अनुसार सिविल एवं दांडिक प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नं. 04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किया जाता है :-

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है	प्रकरणों का प्रकार एवं सूची क्रमांक	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है
1	2	3	4
01	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)	Macc No. 01 to 100 MCA No. 01 to 15 RCA No. 01 to 10 Civil Suit No. 01 to 10 ST No. 01 to 25	15 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
02	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)	MCA No. 01 to 15 RCA No. 01 to 15	
03	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)	Macc No. 01 to 50 ST No. 01 to 25	
04	षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)	Macc No. 01 to 100	
05	सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)	RCA No. 01 to 15	
06	नवम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)	Macc No. 01 to 40 RCA No. 01 to 10	
07	ग्यारहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)	Macc No. 01 to 75 MCA No. 01 to 15 RCA No. 01 to 10 ST No. 01 to 25	
08	नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल प्रकरण क. 01 से 200	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
09	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा	सिविल प्रकरण क. 01 से 200	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा

(सुबोध कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

0/1

82

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक1800...../
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 08 / 04 / 2024


प्रतिलिपि:-

1. तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/ग्यारहवें, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा।
2. प्रथम/द्वितीय/नवम् व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, रीवा।
3. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा।

को निर्देशित किया जाता है कि सूची अनुसार प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय की/से ओर प्रेषित/प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

4. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, रीवा।
5. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
6. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)